



उप- क्षेत्रीय कार्यालय

निधि भवन, ए-2री, सीक्टर-24, नोएडा-201304 जिला गीतग बुद्ध नगर, (उ० प्र०)

संख्या 8853 उ० क्षेत्र का०/नोएडा/कवरेज/यू पी०/49112 दिनांक 26.07.10 फंजीकृत/पानती

सेवा में

पेसा: Baraj Energy (P) Ltd.
B-10, Sector-3
Noida

विषय -

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उनके अन्तर्गत रचित स्कीमों का
पेसा: As above पर लागू होना।

महोदय,

आपक द्वारा दिनांक [] को प्रेषित धियरण/ आपकी स्थापना का भविष्य स्थापना का भविष्य

निधि निरीक्षण द्वारा दिनांक 21/07/2010 को किए गए निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि -

(क) पेसा: As above जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में स्थापना की श्रेणी/ अनुसूची-1 में अधिस्थित।

ने दिनांक 12/07/2010 को 22 अधिक/ व्यक्ति कार्यरत पाए गए।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में उपरोक्त नामित स्थापना, इस के मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं/ विभागों पर, पाए हैं एक स्थापन पर हैं अथवा विभिन्न स्थापना पर हैं।

दिनांक 12/07/2010 से स्थायी/ अस्थायी रूप से लागू होता है। अभिलेखों की जाँच अभी की जाती है।

आपकी स्थापना को कोड सं० यू पी० 491112-1 आवंटित की जाती है। अधिनियम की धारा 1(4)

अन्तर्गत वैधानिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपको स्थापना पर लागू करने के लिए आपको

पत्र संख्या [] दिनांक [] के सन्दर्भ में मैं आपको स्थापना

अर्थात् [] को कोड संख्या यू पी. []

आवंटित किया जा रहा है। अभी आपकी स्थापना को कार्यक्षेत्र में अस्थायी रूप से

जा रहा है, जब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा-1 उप धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर देती।

आपकी स्थापना का कोड नम्बर, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमों अर्थात् कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1998 और मिश्र सहबद्ध बीमा स्कीम, 1978 के विभिन्न उपलब्धों के अनुमान के लिए आवंटित किया गया है। यह कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए।

निधोक्त द्वारा अंशदान, मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (किन्ती भी, खाद्य रिवाज की तकद, सहित) और पिवाह भत्ता यदि कोई है, प्रत्येक कर्मचारी को 10% से 12% की दर से प्रतिमाह देय है। कर्मचारी द्वारा अंशदान की दर निधोक्त द्वारा देय अंशदान के समान होगी। यह भविष्य निधि खाता सं० 1 में जमा किया जाएगा। इसमें 8.33% कर्मचारी अंशदान योजना के खाता संख्या 10 में जमा किया जाना है।

(अ) अंशदान की संग्रहना पूरे माह के दौरान मिलने वाले मूल वेतन, मंहगाई भत्ता आदि, दैनिक, साप्ताहिक, पाश्विक या मासिक आधार पर की गई हो, की जाएगी।

(ब) प्रत्येक अंशदान की गणना मजदूरी के रूप में अर्थात् 50 पैसे या अधिक की एक रूपये में तथा 50 पैसे से कम पैसे को छोड़कर की जाएगी।

(ग) अंशदान की संग्रहना-हेतु वेतन की मजदूरी के रूप में अर्थात् 50 पैसे या अधिक की एक रूपये में तथा 50 पैसे से कम पैसे को छोड़कर की जाएगी।

संपत्ति को देने से पूर्व आपके लिए यह आवश्यक होगा कि आप उसके वेतन से अनिवार्य रूप से वेतन काटे और अंशदान तथा प्रशासकीय प्रसार की राशि सहित प्रत्येक माह 15 दिनों से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक में निधि के लेखों में सम्बन्धित खातों द्वारा निम्नलिखित रूप से जमा करावें -

(अ) क० भ० नि० अंशदान

(ब) प्रशासकीय प्रसार

(ग) पेंशन अंशदान

(घ) क० भ० नि० अंशदान

(च) प्रशासकीय प्रसार

(छ) पेंशन अंशदान

(ज) प्रशासकीय प्रसार की दर 1-8-98 से वेतन, मूल वेतन, मंहगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य किन्ती प्रकार की रिवाज और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई है, का 1.10% है जो न्यूनतम 8 रूपये है।

(झ) कृपया इस बात को नोट किया जाए यदि सदस्य के वेतन से संग्रह पर कटौती नहीं की जाती तो निधोक्त को दोनों के भाग को समान रूप से जमा करानी होगी, क्योंकि कर्मचारी के वेतन से फॉरेन जो बकाया अंशदान की कटौती निषेध है केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ वह वसूली समय पर अकरमाल गतेली अथवा लिपिकीय गपली को कारण नहीं हो सकती।

(ड) क० भ० नि० लेखा सं० में जमा कराया जाए।

(ढ) क० भ० नि० लेखा सं० 2 में जमा कराया जाए।

(ण) क० भ० नि० लेखा सं० 10 में जमा कराया जाए।

जमा से जमा करायें।

- (क) निक्षेप सहबद्ध बीमा लेखा संख्या 21 - इस लेख में अंशदान की दर नियोजता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाय वाला मुन वेतान, मंहगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य से खाद्य रिमायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई हो, की कुल राशि को 0.5% होगा।
- (ख) सेवकीय बीमा निधि प्रशासकीय लेखा संख्या 22 - इस लेख में प्रशासकीय प्रभार की दर नियोजता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाले मुल वेतान, मंहगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य सम्बन्धी रिमायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है कि कुल राशि का 0.01% होगा।

सम्बन्धी लेखों अर्थात् 1, 2, 10, 21 और 22 में राशि चालान के माध्यम से जमा कराई जायेगी और बैंक से प्राप्त चालानों की तीन प्रतियाँ फार्म संख्या 12 के (संक्षेपित) (नीचे उल्लिखित) के साथ इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

आगले गुरु अपेक्षित है कि आप निम्नलिखित रिटर्न तैयार/प्रेषित करें:

- (i) 30 मई 1982 स्कीम, 1982 के अन्तर्गत फार्म सं. 9 तथा पैठ स्कीम, 1995 - ये रिटर्न केवल कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस कार्यालय में जेबल एक बार जमा करानी होती है जिन्हें फ़ैक्टरी/स्थापना को स्कीम के कार्यक्षेत्र में लाने की तिथि से सदस्य बनाया जाता अपेक्षित है या सदस्य बनने के पात्र हो गए हैं।
- (ii) 30 मई 1982 स्कीम और पैठ निधि के अन्तर्गत फार्म संख्या 2 - ये फार्म प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियों में प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजे जाने होते हैं।
- (iii) फार्म सं. 5-क - ये दोनो प्रतियों में इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए। मालिकों में किसी भी प्रकार का माद में परिवर्तन आने पर इस फार्म के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया जाता चाहिए।
- (iv) फार्म सं. 32 - ये फार्म प्रत्येक सदस्य/कर्मचारी से सम्बन्धित फार्म है जिसे फ़ैक्टरी स्थापना में ही रखा जाना चाहिए इस फार्म 30 मई में किए अंशदान की प्रतिभाह प्रविष्टि करनी होती है।
- (v) फार्म सं. 6ए - यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिनों के भीतर फार्म-3ए के साथ (फरवरी माह से सम्बन्धित अन्तिम अंशदान प्रत्येक वर्ष मार्च से अदा किया गया दिखाया जाना चाहिए) इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।
- (vi) फार्म सं. 12ए - यह अंशदान का मासिक रिटर्न फार्म है, जिसे प्रत्येक अगले माह की 25 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है। भारतीय स्टेट बैंक में जमा करायी गई राशि के सम्बन्धित चालान की तृतीय प्रति इसके साथ संलग्न कराई जानी चाहिए।
- (vii) फार्म सं. 6 और 10 - यह उन कर्मचारियों से सम्बन्धित रिटर्न है जो माह के दौरान नए सदस्य बनाए जाते हैं या नौकरी छोड़ जाते हैं। और अगले माह की 15 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

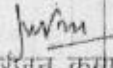
कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 पेंशन निधि स्कीम, 1995 और निक्षेप सहबद्ध 1976 से सम्बन्धित सभी निर्धारित फार्म भविष्य निधि कार्यालय में उपलब्ध हैं और इन्हें नियुक्त आपकी मांगपत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है। नमूना फार्म संलग्न हैं।

पेंशन निधि अंशदान के सदस्य में इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से अलग किया जाना चाहिए और सम्बन्धित फार्मों में अलग से दिखाकर..... केवल इस माह से लेखा सं. 10 में जमा कराना जाना चाहिए होता है।

कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा से सम्बन्धित..... की नकला राशि..... को या इससे पूर्व जमा कराना होता है।

10. यदि इस स्कीम को लागू करने, समय फार्म सं. 9 दिखाए गए कर्मचारी स्थापना की निजी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य थे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि सं. 3 में निर्धारित चालानों में जमा करायी जानी और चालान की तृतीय प्रति इस कार्यालय को भेजनी चाहिए। भविष्य निधि में निवेश की गई समस्त राशि के सम्बन्धित सभी प्रतिभूतियों को चार माह के अन्तर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में हस्तान्तरण कर दिया जाना चाहिए और हस्तान्तरित की गई इन प्रतिभूतियों को कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए। राशि के अन्तरण के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों से सम्बन्धित नोट संलग्न किया जा रहा है निजी भविष्य निधि के लेखों में उपलब्ध शेकड़ को इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्तर अन्तरण कर दिया जाना चाहिए अथवा निर्धारित तिथि के बाद शेकड़ अन्तरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से वारिशक मुकदानी अदा करनी होगी।

कृपया पत्र रसीद विजताने की व्यवस्था करें।


मनोहर कुमार
(सहायक/सेवकीय भविष्य निधि आयुक्त)

प्रतिनिधि

श्री/श्रीमती Sumedra Kumar

प्रवर्तन अधिकारी को अनुपालन

सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित की जाती है, उन्हे यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थापना से सम्बन्धित फार्म-5-क की दो प्रतियाँ स्थापना से प्राप्त करें। कृपया एक माह के भीतर अन्तिम आवृत्त सम्बन्धी आख्या अवश्य दें।

लेखा अनुभाग, उद्योगिकीय कार्यालय

(X यह समझा जाता है कि इस फ़ैक्टरी/

स्थापना के पास भविष्य निधि से सम्बन्धित ऐसी राशि उपलब्ध है/नहीं है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अन्तरित किया जाना है।

कृपया ध्यान रखें कि अंशदान रजिस्टर में आवश्यक अभिलेखों के साथ नोट किया जाय।

ई।पी.ओ. सी।

सं. 30 अ. नोएडा।

(सहायक/सेवकीय भविष्य निधि आयुक्त)